



प्रेसनोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 08.03.2026

➤ थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 05.03.2026 को थाना रूरा पर वादी शुभम शुक्ला पुत्र कृष्णचन्द्र निवासी ग्राम तिगाई थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 04.03.2026 को शाम के समय मेरे परिवार के पेट्रोल पम्प एस.डी फिलिंग स्टेशन, तिगाई में अभियुक्तों द्वारा एक साथ आकर गाली-गलौज कर पेट्रोल पम्प में तोड़फोड़ करते हुए सेल्समैन लालू सिंह गौर को धमकाते हुए पम्प पर बिक्री के 1370 रुपये छीनकर धमकाते हुए भाग जाने व अभियुक्तों द्वारा मेरे ग्राम तिगाई में आकर गाली गलौज करने व अभियुक्त विवेक फौजी द्वारा तमंचे से जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में दिया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 72/2026 धारा 310/109/115(2)/352/351(3)/324(4)/131 /191(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया । मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में साक्ष्य के अभाव में धारा 310 बीएनएस का लोप किया गया है। थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह यादव निवासी ग्राम अहिरन गढ़ेवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 08.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम अहिरन गढ़ेवा स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. विवेक कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह यादव उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम अहिरन गढ़ेवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।

अभियुक्त विवेक कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 60/2016 धारा 323/504/506/427 भादंवि0 थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
2. मु0अ0सं0. 872/2021 धारा 323/34/427/504 भादंवि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
3. मु0अ0सं0 390/2023 धारा 147/148/323/506 भादंवि0 थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
4. मु0अ0सं0 199/2024 धारा 34/323/504/506/427/452 भादंवि0 थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
5. मु0अ0सं0 295/2024 धारा 115/126(2)/3(5)/351(3)/352 बीएनएस थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
6. मु0अ0सं0 351/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/351(3)/324(4) बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
7. मु0अ0सं0 362/2024 धारा 109(1)/125/126(2)/190/191(2)/191(3)/3(5)/324(4)/352 बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।

8. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 352/131/324(4)/115(2)/351(3)/109 बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सुधीर भारद्वाज
2. का0 839 सत्यपाल
3. का0 839 सत्यपाल सिंह
4. का0 1209 सर्वेश कुमार
5. म0का0 1232 जया यादव
6. चालक हे0का0 अशोक कुमार